

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट पर चुनाव लड़ा गया हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा:

55—सांगानेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान के विधानसभा का निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि- अशोक लाहोटी, बी-157-158, टेन बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित (मान्यता प्राप्त/पंजीकृत राजनैतिक दल का नाम) को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान — जयपुर

हस्ताक्षर

(जगत राजेश्वर)

रिटर्निंग अधिकारी

(जगत राजेश्वर)
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, सांगानेर (055)
उपनिर्वाचन कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
रिटर्निंग आफिसर (सांगानेर), जयपुर

तारीख — 11.12.2018

Conduct of Election Rules 1961

(Statutory Rules & Order)

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election, when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** (State/Union territory) from
55 - Sanganer Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that- **Ashok Lahoty, B-157-158, 10B Scheme, Gopalpura Bypass , Jaipur** sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognized/ registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - **Jaipur**

Date - **11.12.2018**

Signature

(Jagat Rajeshwar)
Returnng Officer
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, सांगानेर (055)
(उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट)
जयपुर-द्वितीय, (सांगानेर), जयपुर